मेवाड़ एकेडमी ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन

संविधान

(1) संस्था का नाम	संस्था का नाम "मेवाड़ एकेडमी ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन" रहेगा।
(2) संस्था का पंजीकृत कार्यालय एवं कार्यक्षेत्र	इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय यानी मुख्यालय राजस्थान के उदयपुर शहर में आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में स्थित होगा। जिसमें स्थानीय संकाय में से संस्था का एक सदस्य "कार्यालय समन्वयक" के रूप में होगा। ऐसे कार्यालय समन्वयक को कार्यकारी परिषद द्वारा नियुक्त/चयनित किया जा सकता है और कार्यकारी परिषद में समायोजित सदस्य के रूप में सामान्य निकाय द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। हालाँकि, सुचारू रूप से कार्य सुनिश्चित करने के लिए – कार्यालय अकादमी के महासचिव के आवास शहर में होगा। कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान तक रहेगा।
(3) संस्था के उद्देश्य	संस्था के लक्ष्य और उद्देश्य निम्नलिखित है–

1. फोरेंसिक मेडिसिन में अध्ययन को प्रोत्साहित करना, अभ्यास में सुधार करना, मानकों को ऊपर उठाना और की प्रगति को बढ़ावा देना।
2. न्याय प्रशासन के संबंध में औषधीय कानूनी कार्य के महत्व को उजागर करना और उसके मानक को ऊपर उठाना।
3. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फोरेंसिक मेडिसिन और संबद्ध विषयों में वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रकाशन को बढ़ावा देना, प्रतिनिधित्व करना और प्रकाशित करना।
4. फोरेंसिक मेडिसिन में अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए धन, अनुदान, अक्षय निधि का प्रदान और प्रशासन करना।
5. फोरेंसिक मेडिसिन और संबद्ध विषयों पर बैठकें और संगोष्ठियाँ आयोजित करना।
6. अन्य वैज्ञानिक संघों के साथ सहयोग एवं संबद्धता करना।
7. आम तौर पर ऐसी सभी चीजें करना जो फोरेंसिक मेडिसिन में

डॉ. किशन लाल धानक	डॉ. अजित मालाणी	डॉ. उमेश कुमार चौधरी
अध्यक्ष	महासचिव	कोषाध्यक्ष

सक्रिय रूप से शामिल लोगों की शिक्षा में सुधार, ज्ञान को व्यापक और विकसित कर सकें।

- ❖ अकादमी अपने स्तर पर कोई संशोधन परियोजना नहीं बनाएगी और न ही किसी भी सदस्य को बोनस देगी, बल्कि अपने स्थायी कर्मचारियों के सदस्यों को पारिश्रमिक का भुगतान कर सकती है। इसके अलावा, यह फोरेंसिक मेडिसिन की उन्नति के लिए व्यक्तियों और संगठनों को उस तरीके से पुरस्कार या अनुसंधान अनुदान प्रदान कर सकता है जिसे परिषद उपयुक्त और उचित समझे।

उपरोक्त लक्ष्य और उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

(4) पात्रता और सदस्यता

अकादमी की सदस्यता केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए खुली रहेगी

1. जो फोरेंसिक मेडिसिन के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और जिन्होंने फोरेंसिक मेडिसिन के साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2. या जिन्होंने किसी अन्य महत्वपूर्ण तरीके से फोरेंसिक मेडिसिन को आगे बढ़ाया है।
3. या जो ऐसा करियर अपनाते हैं जिसका अकादमी के लक्ष्यों और उद्देश्यों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

(5) सदस्यों का वर्गीकरण

अकादमी में सदस्यता के चार वर्ग होंगे। सदस्यता केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए होगी और किसी भी तरह के व्यावसायिक लाभ के लिए नहीं।

1. <u>आजीवन सदस्य/साधारण सदस्य</u>

   सभी स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल संस्थानों के फोरेंसिक मेडिसिन विभागों के मेडिकल स्टाफ।मेडिको लीगल कार्य में लगे सभी चिकित्सा अधिकारी
2. <u>सहयोगी सदस्य</u>

   फोरेंसिक मनोचिकित्सक, फोरेंसिक सीरोलॉजिस्ट, न्यायाधीश, वकील, पुलिस अधिकारी, फोरेंसिक मेडिसिन की किसी भी शाखा में रुचि रखने वाले मेडिकल पेशे के सदस्य, हालांकि मेडिको लीगल प्रैक्टिस में सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं।

डॉ. किशन लाल धानक	डॉ. अजित मालाणी	डॉ. उमेश कुमार चौधरी
अध्यक्ष	महासचिव	कोषाध्यक्ष

3. मानद सदस्य

कोई भी योग्य चिकित्सक व्यक्ति जो फोरेंसिक मेडिसिन या संबंधित क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत है अकादमी की सदस्यता के लिए पात्र होगा। जो समय–समय पर कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित सदस्यता प्रवेश शुल्क के अधीन होगा।

आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मानव चिकित्सा में डिग्री होगी। उम्मीदवार की आयु 45 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अन्य कोई भी व्यक्ति जिसे कार्यकारी समिति 2/3 मतों से अनुमोदित करती है।

4. सलाहकार सदस्य

संस्था का कोई भी आजीवन सदस्य, जिसने कार्यकारी परिषद की राय में संस्था के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हैं, ऐसे सदस्य को कार्यकारी परिषद द्वारा सलाहकार सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है।

कोई भी व्यक्ति जो संस्था का सदस्य नहीं है, और जिसने कार्यकारी परिषद की राय में संस्था के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हैं, उसे संस्था के कार्यकारी परिषद द्वारा संस्था के सलाहकार सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है। जो समय–समय पर कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित सदस्यता प्रवेश शुल्क के अधीन होगा।

(6) सदस्यता शुल्क एवं चंदा

1. वार्षिक सदस्यता 500/– रुपये (पांच सौ रुपये मात्र) होगी।
2. कोई भी सामान्य सदस्य 3,500/– रुपये (तीन हजार पांच सौ रुपये मात्र) का एकमुश्त भुगतान करके आजीवन सदस्य बन सकता है और भविष्य की सभी सदस्यताओं के भुगतान से छूट पा सकता है।
3. सहसदस्यों के लिए वार्षिक सदस्यता 500/– रुपये (पांच सौ रुपये मात्र) या 5 वर्षो के लिए 1500/– रुपये (एक हजार पांच सौ रुपये मात्र) होगी।

डॉ. किशन लाल धानक
अध्यक्ष

डॉ. अजित मालाणी
महासचिव

डॉ. उमेश कुमार चौधरी
कोषाध्यक्ष

4. यदि एकमुश्त प्रावधान के रूप में 31 मई 2023 को या उससे पहले भुगतान किया जाता है तो आजीवन सदस्यता शुल्क 2500/– रुपये (दो हजार पांच सौ रुपये मात्र) होगा। ततपश्चात आजीवन सदस्यता शुल्क 3500/– रुपये (तीन हजार पांच सौ रुपये मात्र) रहेगा।

(7) सदस्यता समापन

1 सदस्य की मृत्यु होने पर।

2 सदस्य द्वारा दिया हुआ त्यागपत्र कार्यकारी परिषद द्वारा मंजूर होने पर।

3 संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर।

4 कार्यकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

5 सदस्यता शुल्क जमा नहीं कराने पर।

6 भारत में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि, आगे अपील के अधीन नहीं होने पर।

7 राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग" द्वारा दोषसिद्धि, आगे अपील के अधीन नहीं होने पर।

8 मेवाड़ एकेडमी ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन" संस्था द्वारा सजा आगे अपील के अधीन नहीं होने पर।

9 सदस्य द्वारा निहित कार्य/कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल होने पर। कार्यकारी "अनुशासनात्मक समिति" (अध्यक्ष, महासचिव, संपादक और कार्यकारी परिषद द्वारा नियुक्त दो संस्था सदस्य) इस मामले को देखेगी। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और भूमि के सभी कानूनों को अपनाकर उनका अभ्यास करेगी। ऐसी कार्यकारी "अनुशासनात्मक समिति" कार्यकारी परिषद को प्रतिवेदन सौंपेगी। सिफारिश करने पर अयोग्यता के निर्णय को वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित किया जाएगा। यदि वार्षिक आम बैठक ऐसे पदाधिकारी/सदस्य के खिलाफ कार्रवाई को मंजूरी देती है, तो निर्वाचन अधिकारी भविष्य के शासी निकाय में चुनाव के लिए नामांकन को एक बार के लिए अस्वीकार कर देगा।

डॉ. किशन लाल धानक	डॉ. अजित मालाणी	डॉ. उमेश कुमार चौधरी
अध्यक्ष	महासचिव	कोषाध्यक्ष

(8) साधारण सभा

संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

(9) साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य निम्न प्रकार रहेंगे।

1. कार्यकारी परिषद का चुनाव कराना।
2. वार्षिक आय–व्यय का लेखा जोखा पारित करना।
3. कार्यकारी परिषद द्वारा किये गये कार्यो की समीक्षा करना व पुष्टि करना।
4. संस्था के सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना। जो पंजीकरण अधिकारी (रजिस्ट्रार) द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।

(10) साधारण सभा की बैठके

साधारण सभा की बैठके निम्न प्रकार होगी।

1. साधारण सभा द्वारा वर्ष में एक बैठक करना आवश्यक होगा। आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक अध्यक्ष सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. साधारण सभा की बैठक का गणपूर्ति कुल सदस्यों के 1/3 भाग होगी।
3. बैठक की सूचना 15 दिवस पूर्व व असाधारण परिस्थितियों में 3 दिन पूर्व दी जायेगी।
4. गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 1 घण्टे पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जायेगी। इन परिस्थितियों में गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। बैठक पूर्व निर्धारित कार्यसूचि के आधार पर आहूत की जायेगी।
5. संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर सचिव/अध्यक्ष द्वारा एक माह के अन्दर–अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा।

डॉ. किशन लाल धानक	डॉ. अजित मालाणी	डॉ. उमेश कुमार चौधरी
अध्यक्ष	महासचिव	कोषाध्यक्ष

(11) कार्यकारी परिषद का गठन

संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसके प्रथम पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य निम्न प्रकार है।

1.	अध्यक्ष	एक
2.	उपाध्यक्ष	दो
3.	महासचिव	एक
4.	सहसचिव	दो
5.	कोषाध्यक्ष	एक
6.	संपादक	एक
7.	कार्यकारिणी सदस्य	पॉच
8.	तत्काल पूर्व अध्यक्ष (कार्यकारिणी सदस्य)	एक
9.	तत्काल पूर्व सचिव (कार्यकारिणी सदस्य)	एक
10.	कार्यालय समन्वयक(समायोजित)	एक

इस प्रकार प्रबन्ध कार्यकारिणी में 8 पदाधिकारी एवं 8 कार्यकारिणी सदस्य कुल 16 सदस्य होगें।

(12) कार्यकारी परिषद का निर्वाचन

कार्यकारिणी का निर्वाचन निम्न प्रकार से किया जायेगा।

1. संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव दो वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जायेगा।
2. चुनाव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जायेगा।
3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।
4. नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की सुचि रजिस्ट्रार कार्यालय से प्रमाणित करा प्रति लेने पर ही मान्य होगी।

(13) कार्यकारी परिषद सदस्य पात्रता

परिषद के पदाधिकारियों/सदस्यों के चुनाव के लिए पात्रता

1.पदाधिकारी पद पर चुनाव लड़ने के पात्र होने के लिए किसी भी सदस्य को, कार्यकारिणी के पहले चुनाव के लिए एक बार की छूट (पहले चुनाव के लिए 2 वर्ष) के साथ चुनाव की तारीख से 3 वर्ष पहले तक आजीवन सदस्य रहना आवश्यक होगा। और कम से कम दो वार्षिक बैठकों में भाग लेना चाहिए।

डॉ. किशन लाल धानक	डॉ. अजित मालाणी	डॉ. उमेश कुमार चौधरी
अध्यक्ष	महासचिव	कोषाध्यक्ष

2.कार्यकारी परिषद सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम दो वर्षों तक अकादमी का सदस्य होना चाहिए।

3. वोट देने की पात्रताः वोट देने के पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए अकादमी का सदस्य होना चाहिए।

पदनाम एवं पात्रता निम्न प्रकार होगी।

अध्यक्ष	आचार्य और उससे ऊपर
उपाध्यक्ष	आचार्य और उससे ऊपर
महासचिव	आचार्य और उससे ऊपर
सहसचिव	सहआचार्य ओर उससे ऊपर के पद से जुड़ें
कोषाध्यक्ष	सहआचार्य और उससे ऊपर
संपादक	सहआचार्य और उससे ऊपर
कार्यकारी सदस्य	■ सहायक आचार्य और उससे ऊपर – दो ■ वरिष्ठ निवासी प्रतिनिधि – एक ■ चिकित्सा अधिकारी प्रतिनिधि – एक (अधिमानतः फोरेंसिक मेडिसिन में योग्य) ■ स्नातकोतर छात्र प्रतिनिधि – एक
कार्यालय समन्वयक (स्वीकृत)	सहआचार्य ओर उससे ऊपर– एक
तत्काल पूर्व अध्यक्ष (रिक्त)	––
तत्काल पूर्व सचिव (रिक्त)	––

(14) कार्यकारी परिषद के अधिकार

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य होगें।

1. संस्था का प्रबन्धन करना।
2. सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
3. वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना।
4. संस्था की संपति की सुरक्षा करना।
5. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा निष्कासित करना, उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना एवं सेवा मुक्त करना।
6. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
7. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियॉ बनाना।
8. अकादमी के सभी प्रकाशनों का पर्यवेक्षण एवं निर्देशन करना।
9. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो करना।

डॉ. किशन लाल धानक	डॉ. अजित मालाणी	डॉ. उमेश कुमार चौधरी
अध्यक्ष	महासचिव	कोषाध्यक्ष

10.सामान्य आम बैठक की मंजूरी के अधीन, सदस्यता, पुस्तकों, पांडुलिपियों या अकादमी की किसी अन्य संपत्ति के कारण किसी सदस्य से देय किसी भी राशि की वसूली के लिए अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

(15) कार्यकारी परिषद के बैठके

कार्यकारिणी की बैठके निम्न प्रकार होगी।

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 2 (दो) बैठकें अनिवार्य होगी। लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक सचिव/अध्यक्ष द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जायेगी तथा असाधारण बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
3. बैठक की गणपूर्ति कार्यकारी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगी।
4. गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित की जावेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में गणपूर्ति की आवश्यकता नही होगी, लेकिन विचारणीय विषय वहीं होगे जो पूर्व कार्यसूचि में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी सभा में करानी आवश्यक होगी।
5. आपातकालीक असाधारण परिस्थितियों में गणपूर्ति के अभाव में ऑनलाइन बैठक की जा सकेगी।

(16) कार्यकारी परिषद के अधिकार एवं कर्तव्य

संस्था की कार्यकारी परिषद के अधिकार एवं कर्तव्य निम्न प्रकार होगे।

(1) <u>अध्यक्ष</u>

1. बैठकों की अध्यक्षता करना संयुक्त रूप से।
2. आय–व्यय पर नियंत्रण करना संयुक्त रूप से।

डॉ. किशन लाल धानक	डॉ. अजित मालाणी	डॉ. उमेश कुमार चौधरी
अध्यक्ष	महासचिव	कोषाध्यक्ष

3. संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना संयुक्त रूप से।
4. संपति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो करना।
5. बैक खाते में हस्ताक्षर करना संयुक्त रूप से।
6. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
7. वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल पास करना। कर्मचारियों की नियुक्ति एवं निष्कासन करना।
8. आपातकालीन स्थिति में ऐसी कोई भी कार्रवाई करना जो वह परिस्थितियों के आलोक में उचित समझे और अगली बैठक में कार्यकारी परिषद की मंजूरी ले।
9. परिषद द्वारा नियुक्त सभी समितियों का पदेन सदस्य होना।

(2) उपाध्यक्ष

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष अध्यक्ष के सभी विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों को ग्रहण करेगा।

(3) महासचिव

1. बैठकें आहूत करना।
2. आय–व्यय पर नियंत्रध्ण करना।
3. संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना संयुक्त रूप से।
4. पत्र व्यवहार करना।
5. संपति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो करना।
6. बैंक खाते में हस्ताक्षर करना संयुक्त रूप से।
7. संस्था पर नियंत्रण रखना।
8. परिषद द्वारा नियुक्त सभी समितियों का पदेन सदस्य होना।

(4) सहसचिव

सचिव की अनुपस्थिति में, सचिव के सभी अधिकार और उत्तरदायित्व ग्रहण करेगा।

डॉ. किशन लाल धानक	डॉ. अजित मालाणी	डॉ. उमेश कुमार चौधरी
अध्यक्ष	महासचिव	कोषाध्यक्ष

(5) कोषाध्यक्ष

1. वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करना।
2. दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना।
3. चंदा, शुल्क व अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
4. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।
5. बैक खातें में संयुक्त रूप से हस्ताक्षर का लेने–देन करना।
6. परिषद द्वारा नियुक्त सभी समितियों का पदेन सदस्य होना।

(6) संपादक

1.संपादकीय मंडल की मदद से अकादमी के सभी प्रकाशनों और आवधिक बुलेटिनों का प्रभारी होगा।

(7) सहसंपादक

1.संपादक की अनुपस्थिति में, संपादक के सभी अधिकार एवं उत्तरदायित्व ग्रहण करेगा।

(8) कार्यकारी परिषद सदस्य

1. बैठकों में भाग लेना।
2. अपनी सर्वोत्तम क्षमता से परिषद और सामान्य सभा के प्रस्तावों में मदद करना और उन्हें क्रियान्वित कराना।

(17) संस्था का कोष

संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा–
चन्दा, शुल्क, अनुदान, सहायता, राजकीय अनुदान उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक में सुरक्षित की जायेगी।
अध्यक्ष एवं सचिवं में से कोई एक या दोनो तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर बैंक लेन–देन कर सकेगें।

(18) कोष संबंधी विशेषधिकार

संस्था के हित व कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेगें।

1. अध्यक्ष	रूपये 50000/–
2. सचिव	रूपये 20000/–
3. कोषध्यक्ष	रूपये 10000/–

डॉ. किशन लाल धानक	डॉ. अजित मालाणी	डॉ. उमेश कुमार चौधरी
अध्यक्ष	महासचिव	कोषाध्यक्ष

	उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा।
(19) संस्था का अंकेक्षण	संस्था के समस्त लेखे.जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जायेगा। जिसकी अवधि 1 अप्रेल से 31 मार्च होगी। प्रत्येक वर्ष की अंकेक्षण रिपोर्ट पंजीकरण कार्यालय में पेश की जावेगी। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।
(20) संस्था के विधान में परिवर्तन/परिवर्द्धन	संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के 2/3 बहुमत परिवर्तन/परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा, जो राजस्थान पंजीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगी। उक्त प्रकार का संशोधन पंजीकरण अधिकारी से स्वीकृत कराने पर लागू होगा।
(21) संस्था का विघटन	यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पति समान उद्देश्यों वाली संस्था को हस्तातंरित कर दी जावेगी, लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।
(22) संस्था के लेखे–जोखों का निरीक्षण	संस्था के लेखे–जोखों का पंजीकरण संस्थाऐं या उनके प्रतिनिधि को संस्था के निरीक्षण, रिकार्ड लेखे–जोखों आदि का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जायेगी।

- यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) मेवाड़ एकेडमी ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन के मूल दस्तावेज है।

डॉ. किशन लाल धानक	डॉ. अजित मालाणी	डॉ. उमेश कुमार चौधरी
अध्यक्ष	महासचिव	कोषाध्यक्ष

क्रम स.	नाम	पिता का नाम	पूर्ण पता	व्यवसाय	पद	मोबाइल नम्बर
1	डॉ. किशन लाल धानक	एसआर धानक	वरिष्ठ आचार्य एवं विभागाध्यक्ष फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी विभाग आरएनटी मेडिकल कॉलेज कोर्ट सर्कल के पास उदयपुर राजस्थान	चिकित्सक	अध्यक्ष	9414029582
2	डॉ. राहुल जैन	रतन चन्द्र जैन	वरिष्ठ आचार्य फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी विभाग आरएनटी मेडिकल कॉलेज कोर्ट सर्कल के पास उदयपुर राजस्थान	चिकित्सक	उपाध्यक्ष	9460801777
3	डॉ. संजीव चौधरी	नाथूसिंह चौधरी	आचार्य एवं विभागाध्यक्ष फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी विभाग गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर राजस्थान	चिकित्सक	उपाध्यक्ष	9462700505
4	डॉ. अजीत मालाणी	प्रकाशचंद्र मालाणी	आचार्य एवं विभागाध्यक्ष फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी विभाग अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बेडवास उदयपुर राजस्थान	चिकित्सक	महासचिव	9042141143
5	डॉ. अनुपम बंसल	रामगोपाल बंसल	आचार्य एवं विभागाध्यक्ष फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी विभाग, आर.यू.आर.एस गवरमेन्ट मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा, राजस्थान	चिकित्सक	सहसचिव	8283600044
6	डॉ प्रणव कुमार	मिथिलेश कुमार	सहप्राध्यापक फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी विभाग पेसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अंबुआ रोड उमरड़ा उदयपुर राजस्थान''	चिकित्सक	सहसचिव	9045840598
7	डॉ. उमेश कुमार चौधरी	केशाराम चौधरी	आचार्य फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी विभाग अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बेडवास उदयपुर राजस्थान	चिकित्सक	कोषाध्यक्ष	8209516473

डॉ. किशन लाल धानक
अध्यक्ष

डॉ. अजित मालाणी
महासचिव

डॉ. उमेश कुमार चौधरी
कोषाध्यक्ष

8	डॉ एस के सिंघल	एल आर सिंघल	आचार्य एवं अतिरिक्त प्रधानाचार्य फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी विभाग अनंता आयुर्विज्ञान संस्थान राष्ट्रीय राजमार्ग 58 जिला राजसमन्द, राजस्थान	चिकित्सक	संपादक	9422285042
9	डॉ.अखिलेश शर्मा	शांतिलाल शर्मा	आचार्य फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी विभाग आरएनटी मेडिकल कॉलेज कोर्ट सर्कल के पास उदयपुर राजस्थान''	चिकित्सक	कार्यालय समन्वयक	9414330407
10	डॉ. अरविन्द गोयल	रमेश चन्द गोयल	सहायक आचार्य फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी विभाग गवरमेन्ट मेडिकल कालेज, डूंगरपुर, राजस्थान	चिकित्सक	सदस्य	9624842744
11	डॉ. चेतन कुमार	रोशन लाल जैन	सहआचार्य फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी विभाग, आर.यू.आर.एस गवरमेन्ट मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा, राजस्थान	चिकित्सक	सदस्य	9714912346
12	डॉ. शैलेन्द्र खिची	हिम्मत सिंह	वरिष्ठ निवासी फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी विभाग आरएनटी मेडिकल कॉलेज कोर्ट सर्कल के पास उदयपुर राजस्थान	चिकित्सक	सदस्य	9079281714
13	डॉ. उपेन्द्र बी सूत्रकार	रामगोपाल सूत्रकार	पीजी छात्र फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी विभाग आरएनटी मेडिकल कॉलेज कोर्ट सर्कल के पास उदयपुर राजस्थान	चिकित्सक	सदस्य	9057585012
14	डॉ. मोहम्मद इरफान खान	जफरूल्लाह खान	वरिष्ठ मेडिकल अधिकारी, 35 गाँधी कॉम्पलेक्स नया आर.टी.ओ, पूजा किराणा स्टोर की पीछे, उदयपुर, राजस्थान	चिकित्सक	सदस्य	8619387115
15	तत्काल पूर्व अध्यक्ष (रिक्त)	——	——	चिकित्सक	सदस्य	——
16	तत्काल पूर्व सचिव (रिक्त)	——	——	चिकित्सक	सदस्य	——

डॉ. किशन लाल धानक	डॉ. अजित मालाणी	डॉ. उमेश कुमार चौधरी
अध्यक्ष	महासचिव	कोषाध्यक्ष